**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1130**

**दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**देश में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां**

**1130.डा जनार्दन वाघमरेः**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** दिनांक 8 मार्च, 2013 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1272 के

दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित की गई छः दवा इकाइयां व्यापारिक इकाइयां हैं जो

गैर लाइसेंस प्राप्त/संविधा विनिर्माण कंपनियों से दवाओं का विनिर्माण करवा रही हैं अथवा उन्होंने

स्वयं की विनिर्माण इकाइयों स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा विपणित दवाओं के मूल्यों और जिन मूल्यों पर घरेलू विनिर्माता ऐसी

दवाओं का विपणन कर रहे हैं, उसका तुलनात्मक मूल्य क्या है; और

(ग) इन दवा इकाइयों की स्थापना करने की अनुमति देकर हमारे नागरिकों को क्या सामाजिक/वित्तीय

लाभ मिलेंगे?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्‍यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** दिनांक 8.3.2013 को दिया गया राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1272 का उत्‍तर उसमें बताई गई छह बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों द्वारा स्‍थापित औषधि विनिर्माण एककों से संबंधित है।

**(ख):** औषधि कीमत नियंत्रण आदेश 2013 के अनुसार कोई भी विनिर्माता (चाहे वह घरेलू हो अथवा बहुराष्‍ट्रीय हो) राष्‍ट्रीय आवश्‍यश्‍क दवा सूची-2011 के अंतर्गत दी गई दवाइयों को राष्‍ट्रीय औषधि मूल्‍य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित/संशोधित उच्‍चतम मूल्‍य (स्‍थानीय करों यथा लागू को जोडकर) से अधिकमूल्‍य पर नहीं बेच सकता है।

**(ग)**: बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों द्वारा औषध यूनिटों की स्‍थापना करने से रोजगार में वृद्धि होती है। प्रोद्योगिकी की शुरूआत होती है और दवाइयों की उपलब्‍धता में वृद्धि होती है।

\*\*\*\*\*\*